न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 14 / 2020

1– मुकेश कुमार पुत्र श्री फूलसिंह सैनी निवासी वार्ड नं0 5 कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

....अपीलार्थी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रमेश जाति माली निवासी वार्ड स0 2 नगरपालिका कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)
2. भग्गो पत्नि रमेश
3. रमेश पुत्र नत्थी
4. चमेला पत्नि रामकिशोर
5. चन्द्र पुत्र खैमसिंह
6. विमला पत्नि चन्द्र
7. खेमसिंह पुत्र रमेश
8. ममता पत्नि खेमसिंह
9. देवीराम पुत्र रमेश
10. ललिता देवी पत्नि देवीराम
11. सत्येन्द्र कुमार पुत्र रामकिशोर
12. अनिल कुमार पुत्र रामकिशोर
13. आशादेवी पत्नि सत्येन्द्र कुमार
14. कन्हैया पुत्र हरपाल
15. बबली पत्नि कन्हैया
16. अशोक पुत्र कन्हैयालाल
17. दीपा पत्नि अशोक
18. भगवानसिंह पुत्र कन्हैया
19. कश्मीरा पत्नि भगवानसिंह
20. रूपसिंह पुत्र हरपाल
21. बृजलता पत्नि रूपसिंह
22. निक्की पत्नि रूपसिंह
23. हुकमसिंह पुत्र हीरो
24. पप्पू पुत्र हुकमसिंह
25. रूपकला पत्नि पप्पू
26. खिल्लूसिंह पुत्र हुकमसिंह

(2 से 26 तक) जातियान माली निवासी वार्ड संख्या 02 नगर पालिका कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

27. मोहनदेई पत्नि खिल्लूसिंह
28. संजय सैनी पत्नि पप्पू सैनी
29. विश्वेन्द्र सिंह पुत्र खिल्लूराम
30. शंकर पुत्र लेखी
31. शैलेष कुमारी पत्नि शंकरसिंह
32. ओमवती पत्नि चम्पा
33. जीतेन्द्र माता गोमवती
34. रजनी पत्नि जीतेन्द्र
35. राधा पत्नि मंगलसिंह
36. चन्द्रशेखर पुत्र

(27 से 36 तक) जातियान माली निवासी वार्ड संख्या 02 नगर पालिका कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0

37. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नगर पालिका कुम्हेर

.... अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.11.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),नगर पालिका ,कुम्हेर जिला भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 24.11.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.11.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),नगर पालिका, कुम्हेर जिला भरतपुर इस आशय की पेश की गई है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कुम्हेर द्वारा नगर पालिका कुम्हेर में परिसीमन के नियमों का पालन नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश गलत पारित किया गया है। परिसीमन में वार्ड संख्या 02 के स्वरूप में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि गैरसायलान के मकानात व निरौती बतासे वाले की दुकान तक वहां से उत्तर की ओर चलकर हब्बल जाटव के घर तक समस्त मध्य भाग वार्ड न0 02 में है तथा अप्रार्थीगण के मकान भी वार्ड न0 02 में स्थित है। तहत् अदालत ने स्वंय के द्वारा हल्का पटवारी से मंगाई गई रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 जिसे नगर पालिका द्वारा भी सत्यापित किया गया है, में स्पष्ट रूप से माना है कि अप्रार्थीगण वार्ड न0 02 की परिसीमन में ही निवास करते है, और यहीं पर उनके पैत्रृक मकान है।

अप्रार्थीगण में से महज एक–दो व्यक्तियों का ही प्लॉट मात्र ही वार्ड न0 05 में है, परन्तु अप्रार्थीगण बिना निवास के व बिना किसी आधार के ही परिसीमन के विरूद्ध किसी व्यक्ति विशेष को राजनैतिक लाभ पहुचानें के उद्देश्य से वार्ड नं0 5 में अपना नाम अंकन कराना चाहते हैं, जो वैधानिक रूप से गलत है। इस कारण अपीलांट आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थी ने अपील स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) नगर पालिका कुम्हेर के आदेश दिनांक 11.11.2020 को निरस्त करते हुये अप्रार्थीगण के नाम वार्ड नं 05 से हटाकर वार्ड न0 02 में रखे जाने की प्रार्थना की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्वा0अपील संख्या 14/2020
मुकेश कुमार बनाम रामकिशोर बगै0

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई । ई0 आर0 ओ0 (एस.डी.एम.), कुम्हेर से तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है । योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण के मकान परिसीमन के हिसाव से वार्ड नं0 2 में ही हैं । वार्ड नं0 5 में तो केवल इनके प्लॉट ही हैं, मकान नहीं हैं। अप्रार्थीगण वहीं पर निवास करते हैं और इनका खाना भी वार्ड नं0 2 में ही बनता है । परन्तु अप्रार्थीगण बिना निवास व बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति विशेष को राजनैतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड नं0 5 में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं । ई0आर0ओ0 कुम्हेर द्वारा अप्रार्थीगण के निवास सम्बन्धी जांच किसी उच्चाधिकारी से करानी चाहिए थी । तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है,जो काबिल खारिज के है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे ।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट मुकेश को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट ने जो शिकायत की है, उसमें 6 व्यक्तियों का ही नाम हैं । शिकायत में अंकित चम्पा को अपील में पार्टी नहीं बनाया है । इस प्रकार शिकायत के हिसाव से कुल 5 व्यक्ति ही थे जबकि अपील 36 व्यक्तियों के विरूद्ध पेश की गई है । अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह भी जाहिर किया है कि 31 व्यक्तियों के विरूद्ध अपील गलत पेश की गई है । वार्ड नं0 2 का परिसीमन किया है । ये व्यक्ति वार्ड नम्बर 5 के छापर मोहल्ला में रहते हैं । कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार की गई है । अपीलान्ट अप्रार्थीगण को जबरन वार्ड नं0 2 में भेजना चाहता है । अप्रार्थीण वार्ड नं0 5 में ही निवास करते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

हमने अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावलियों का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण परिसीमन होने के बाद वार्ड नं0 2 से वार्ड सं 5 में आए हैं । ई0आर0.ओ0 द्वारा जांच करने के बाद ही इन्हें वार्ड नं0 5 में रखा गया है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यक्ति के दो या दो से अधिक स्थानों पर संपत्ति /प्लॉट या घर हो सकते हैं लेकिन भौतिक सत्यापन के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत जरूरी है कि वे वास्तव में कहां रहते हैं। ई0आर0ओ0 कुम्हेर का आदेश दिनांक 11.11.2020 उचित प्रतीत होता है । उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पात्रावली वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:25:19 IST
Reason: SelfAttested